भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *206

जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

*206. श्री संतोष कुमार:

श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के प्रारंभ से बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान सहित राज्य/जिला-वार कितने आवेदकों ने ऋण के लिए आवेदन किया है और कितने आवेदन स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है और कितनी राशि के ऋण संवितरित किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत ऋणों का संवितरण उचित ढंग से किया जा रहा है और कौन-कौन से ऋण खाते समुचित रूप से चल रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान वर्ष सहित विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमएमवाई के लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(च) ऐसे लाभार्थियों द्वारा ऋण का उपयोग किए जाने से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है और लोगों से ऋण राशि की वसूली की प्रवृत्ति क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" के संबंध में श्री संतोष कुमार एवं श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा पूछे गए 18 दिसम्बर, 2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *206 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (च): प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई) अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा 10 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, जो ऋण लेने के लिए अन्यथा पात्र हो और जिनके पास लघु व्यवसायिक उद्यम के लिए व्यवसाय योजना हो, इस योजना के अंतर्गत ऋण का लाभ उठा सकता है। ऋण, विनिर्माण, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र में आय सृजन संबंधी कार्य-कलापों और कृषि से सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए तीन श्रेणियों अर्थात् शिशु (50,000 रुपए तक के ऋण), किशोर (50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक के ऋण) और तरुण (5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के ऋण) के अंतर्गत प्राप्त किए जा सकते हैं।

दिनांक 24.11.2023 की स्थिति के अनुसार, पीएमएमवाई के अंतर्गत योजना को आरंभ किए जाने से लेकर अभी तक उधारकर्ताओं को 26.12 करोड़ रुपए की राशि के 44.46 करोड़ ऋण की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, योजना को आरंभ किए जाने से लेकर अब तक योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए ऋणों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिले-वार ब्यौरे को **अनुबंध-I** में दर्शाया गया है।

भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के तत्वाधान में, पीएमएमवाई के तहत एमएलआई द्वारा पात्र सूक्ष्म इकाइयों को दिए गए ऋण की गारंटी प्रदान करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये (अब इसे बढ़ाकर 3,900 करोड़ रुपये कर दिया गया) के आरंभिक कॉर्पस के साथ सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) की स्थापना की गई थी। इस निधि के अंतर्गत अब तक कुल 3000 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

पीएमएमवाई के अंतर्गत स्वीकृत और संवितरित ऋण क्रमशः 26.12 लाख करोड़ रुपये और 25.47 लाख करोड़ रुपये हैं। पीएमएमवाई के अंतर्गत स्वीकृत और संवितरित ऋणों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

पीएमएमवाई के अंतर्गत दिए गए ऋण का उपयोग विनिर्माण, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र में आय सृजन संबंधी कार्य-कलापों और कृषि से सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए किया जा रहा है।

पीएमएमवाई के अंतर्गत चालू वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल 32.19 करोड़ खातों में 20.40 लाख करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई और 19.92 लाख करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।

योजना को आरंभ किए जाने से लेकर अभी तक उक्त योजना के अंतर्गत महिलाओं को कुल 30.64 करोड़ ऋण प्रदान किए गए हैं।

एमएलआई द्वारा मुद्रा पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार जून 2023 की स्थिति के अनुसार संवितरण वाले 97.09% खातों को मानक खाते के रूप में सूचित किया गया है।

******